न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 397/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ	**बनाम**	1. जयसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी मीठा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओरं से
2. श्री गोपाल लाल बलाई व देवीलाल गाडरी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मीठा की आ.न. 370/176 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा कमाण्ड क्षैत्र में आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 27.10.2020 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मीठा की आ.न. 370/176 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा कमाण्ड क्षैत्र में आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब को ही बहस मानकर निर्णय किये जाने का निवेदन किया हैं। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी पर विपक्षी का कब्जा हैं। विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं व उक्त भूमि पर काबिज हैं। विपक्षीगण का आंवटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी को मीठा की आराजी नं. 370/176 रकबा 1.00 बीघा का विधिवत तौर आवंटन कर कब्जा सुपूर्द किया गया। विपक्षी गरीब किसान हैं एवं उक्त आराजी पर कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम मीठा के आ.न. 370/176 रकबा 1.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम मीठा के आराजी नं. 370/176 रकबा 1.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम मीठा की आ.न. 370/176 रकबा 1.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)